न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–263/2026
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–147/2022

1\. मो0 शाकिब अंसारी उम्र लगभग 29 वर्ष पिता–मो0 गुलाम हैदर
साकिन–मनजौरा बाजार, थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा।
–आवेदक/अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

23–06–2026

अभियुक्त मो0 शाकिब अंसारी का अग्रिम जमानत आवेदन जो बिहारीगंज थाना कांड संख्या–147/2022 अन्तर्गत धारा–379 भा0 द0 वि0 से संबंधित है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 इश्तियाक रहमानी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया जैसा प्राथमिकी में वर्णित है। आवेदक को उसके दुश्मनो तथा पुलिस के द्वारा गलत तरीके से इस केस में फॅसाया गया है। प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है और न ही उसके पास से चोरी का मोटरसाईकिल अथवा मोबाइल बरामद किया गया है। कथित चोरी का मोटरसाईकिल मो0 साहिन के पास से बरामद हुआ है जिसके संबंध में पुरैनी थाना कांड सं0–134/22 दर्ज है तथा जप्ती सूची पर भी मो0 साहिन का नाम है। पुलिस द्वारा दिखाया गया गोली आवेदक के पास से बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का मो0 साहिन से कोई सरोकार नहीं है बल्कि आवेदक अपने काम से लौट रहा था उसी कम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आवेदक के विरूद्व कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देशो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
23.06.26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.06.2022 करीब 3:20 बजे सूचक अपने घर से चाचा मनोज पंडित का काला सिल्वर रंग के हीरो स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0–BR11AU0393 से रहटा किशुनगंज जा रहा था। करीब 4 बजे सूचक जैसे मधुकरचक नवटोलिया के समीप नहर के आगे निकला तभी पीछे से एक ब्लू रंग का बिना नम्बर का पल्सर गाड़ी पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति पीछे से आकर धक्का देकर सूचक को असंतुलित कर दिया।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–263/2026</u>
उत्पन्न बिहारीगंज थाना कांड संख्या :–147/2022

<u>लगातार</u>
23–06–26

– सूचक संभलते– संभलते गिर गया एवं शर्ट के पॉकेट में रखा मोबाईल भी नीचे गिर गया। सूचक जबतक उठते कि उक्त पल्सर सवार व्यक्ति जिसकी उम्र 20–25 वर्ष एवं रंग गोरा था सूचक का मोटरसाईकिल एवं मोबाईल लेकर मधुकरचक के तरफ भाग गया। जिसमें एक लड़का हल्का हेल्दी तथा एक पतला था। मोबाईल रियलमी–11 में दो सिम लगा हुआ था जिसका नं0–8252155406, 8252708654 है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–379 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक ने अभियोग लगाया है कि नवटोलिया नहर के समीप एक ब्लू रंग के बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर असंतुलित कर दिया गया और गिरने के पश्चात् उसका मोबाईल व मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। यद्यपि आवेदक प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नहीं है परंतु अनुसंधान के कम में आवेदक का नाम सामने आया है। कांड दैनिकी के पारा–53 के अनुसार सूचक की उक्त मोटरसाइकिल पुरैनी थाना कांड सं0–134/22 में बरामद किया गया है तथा पारा–159 के अनुसार उक्त मोटरसाईकिल के साथ ही आवेदक को भी गिरफ्तार किया गयां

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar 23.6.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।